यह निरीक्षण प्रतिवेदन आख्या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के माह 04/2016 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04/12/2018 से 07/12/2018 तक श्री रामसनेही, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्वेक्षण मे सम्पादित किया गया।

## भाग-I

**परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

**(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला मुख्यालय पौड़ी में देवप्रयाग रोड़, निकट आकाशवाणी केन्द्र में स्थित है।

**(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(धनराशि रु. में)**

| **वर्ष** | **आवंटन** | | **व्यय** | | **बचत/समर्पण** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **स्थापना** | **गैर स्थापना** | **स्थापना** | **गैर स्थापना** | **स्थापना** | **गैर स्थापना** |
| 2015-16 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2016-17 | 6541000 | 798000 | 6030827 | 755739 | 510173 | 42261 |
| 2017-18 | 9033000 | 1205000 | 8860139 | 871992 | 172861 | 333008 |
| 2018-19 | 7061000 | 135000 | 6575967 | 125211 | 485033 | 9789 |

**(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

-------------------------------------------शून्य------------------------------------

**(iii)** इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी सी (C) हैं ।विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव/सचिव

↓

विद्यालय शिक्षा उतराखंड

↓

महानिदेशक

↓

निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)

↓

मंडलीय स्तर निदेशक प्रा.शि.

↓

उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा उतराखंड

↓

मुख्य शिक्षा अधिकारी

↓

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) | वित्त अधिकारी (प्रा. शि.)

**(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी (बेसिक) पौड़ी गड़वाल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी (बेसिक) पौड़ी गड़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2017, एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

**(v)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**<u>भाग-दो(ब)</u>**

**प्रस्तर-1- बृहद निर्माण कार्य हेतु ₹ 2.52 लाख की धनराशि का कार्यदायी संस्था को अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विपरीत हस्तान्तरित किया जाना।**

शासनादेश संख्या 903/XXIV/2017-35 /2016 दिनांक 23 मार्च 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में बृहद निर्माण कार्य हेतु अनुदान संख्या -11 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01- सामान्य शिक्षा, 201-प्रारम्भिक शिक्षा, 03- प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण, 24- बृहद निर्माण कार्य में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चमराड़ा, ब्लाक खिर्सू पौड़ी हेतु ₹ 6,30,000 की आगणित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त 40% के रूप में ₹ 2,52,000 की धनराशि निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखते हुये व्यय किए जाने की स्वीकृति, शासनादेश में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, प्रदान की गई थी ।

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी ।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचरिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को संपादित करना सुनिश्चित किया जाए ।
3. निर्माण सामाग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टिओं के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लाई जाये ।
4. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबन्धित कार्यदाई संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।
5. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rule 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

**Procurement of works by obtaining of Bids/Tenders**:-

**Uttarakhand Procurement Rule 2008 Rule 40-** Competent Authority shall procure works under different types of contracts like percentage rate, piece rate, item rate, lump sum contract etc. which are detailed below :- (a) Percentage Rate Contract:- For percentage rate of tenders, the contractors are required to quote rate as overall percentage above or below the total estimated cost. Such percentage rate contract should be confined to maintenance works up to the value of Rs.10,00,000/- (Rs. Ten lakh) only. All other works contract should be well planned and awarded as lumpsum contracts. The payment should be made after measurement and entry in the measurement book.

Rule 41**-** All procurement shall be made under standardized bidding documents approved by the government.

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चमराड़ा, ब्लाक खिर्सू पौड़ी में बृहद निर्माण कार्य हेतु ₹ 2,52,000 की धनराशि निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक नियोजन (04) /28100-113/पु.नि./ बृ.म. 2015-16 दिनांक 25 मार्च 2017 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) पौड़ी के निवर्तन पर रखते हुये व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी । जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) पौड़ी द्वारा धनराशि अवमुक्त किए जाने के पश्चात निर्माण कार्य से संबन्धित औपचरिकताए पूर्ण किए जाने के साक्ष्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाये गए। जबकि धनराशि व्यय किए जाने हेतु शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार Uttarakhand Procurement Rule 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के उपरोक्त नियम 40 के अनुसार समस्त निर्माण कार्य समुचित रूप से योजित एवं एक मुश्त अनुबंध के रूप में अवार्ड होने चाहिए। निर्माण कार्यो का भुगतान माप पुस्तिकाओं मे दर्ज कार्य की मात्रा की मापों के आधार पर ही किया जाना प्रावधानित है। साथ ही नियम 41 के अनुसार, समस्त अधिप्राप्तियाँ, सरकार द्वारा अनुमोदित मानक निविदा प्रपत्रों के अधीन ही की जाने चाहिए । परंतु इकाई द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली के उपबंधों एवं शासनादेश की शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2,52,000 की धनराशि का हस्तान्तरण किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि निर्माण कार्य तकनीकी पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में किया गया है तथा संबन्धित साक्ष्य कार्यदाई संस्था से प्राप्त कर संप्रेक्षा को उपलब्ध करा दिये जाएंगे ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था। क्योंकि इकाई द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली के उपबंधों एवं शासनादेश की शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन धनराशि को कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित करने में सुनिश्चित नहीं किया गया था। अतः ₹ 2,52,000 की धनराशि का व्यय अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

**भाग-III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

| **निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या** | **भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या** | **भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या** | **अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी** |
|---|---|---|---|
| --------------------------इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है------------------- | | | |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| **निरीक्षण प्रतिवेदन सं०** | **प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण** | **अनुपालन आख्या** | **लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी** | **अभ्युक्ति** |
|---|---|---|---|---|
| --------------------------इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है------------------- | | | | |

# भाग-IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

“शून्य”

**भाग-V**

**<u>आभार</u>**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) पौड़ी गढ़वाल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| **1.** | श्री के.एस. बिष्ट | आहरण वितरण अधिकारी | 04/2016 से 11/2018 |
| **2.** | श्री आलोक शाह | आहरण वितरण अधिकारी | 12/2016 से वर्तमान |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून "248195" को प्रेषित कर दी जाये।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.**